



राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक :-सं.3(6) (4)स्था/पदोन्नति/ अभि/2019/11554-61

दिनांक :- 25/11/2021

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक के वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 18.11.2021 को रिब्यू विभागीय पदोन्नति समिति अनुशंषा पर श्री शुभम शर्मा पुत्र स्व0 श्री नरवर लाल का वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2018-19 में चयन निरस्त करते हुए, श्री शुभम शर्मा को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2016-17 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2016 के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2017 के मैट्रिक्स लेवल-08 में पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ सहायक के पद पर श्री हरवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेहरू सिंह से नीचे व श्री मनीष शर्मा पुत्र स्व. श्री धर्मदास शर्मा से ऊपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नति पर उपस्थिति दिनांक से देय होगा। इनका पदस्थापन वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्तमान पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर में यथावत रखा जाता है।

(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप निदेशक अभियोजन अजमेर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :-सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर।
8. निजी पत्रावली /समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर